

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

१०५. 135/17

१५

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

अतः उपरोक्त विवेकन रेकॉर्ड
पर वापि द्वारा प्रस्तुत वादपत्र
पर ४४-४९ एवं १४४ RTA
के तहत कि सीमा प्रकार की
अनुवीकृति दी गई है। यह
वादपत्र बांग्ला उपपत्र की
तरीफ में आता है। अतः वाद
प्रमाणित करने पर होना तथ्यहीन
होने से वापि द्वारा प्रस्तुत
वादपत्र कि यह पूर्ण वादपत्र
रखी जा विधि जान के आदेश
नुदान विधि द्वारा है। फिलहाल
तक करेण को लिखा जा जाये
तदनुसार डीडी बुकिंग की
जाये। फलतः दर्ज रजिस्ट्री
से कम होकर फलतः शुभ
हो। तथा दावा पर तफाव हो
निष्पत्ति से हो जाय।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा